

2011 का विधेयक सं. 15

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 75 का संशोधन-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 75 की उप-धारा (4) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा कर सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लेखों की संपरीक्षा कर सकेगा और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75 के विद्यमान उपबंधों के अधीन पंचायती राज संस्थाओं के सभी लेखों की संपरीक्षा, निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा की जायेगी और ऐसे लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा भी की जा सकेगी।

यह महसूस किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा के स्थान पर ऐसे लेखों की विस्तृत संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाये और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों को राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाये। अतः, अधिनियम के उपबंध तदनुसार संशोधित किये जाने प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भरत सिंह,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

*** * * * ***

75. लेखे और संपरीक्षा-(1) से (3) ** ** **

(4) किसी पंचायती राज संस्था द्वारा रखे और संधारित किये गये समस्त लेखों की संपरीक्षा राज्य के निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र की जायेगी और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम 28) के उपबंध लागू होंगे:

परन्तु भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी ऐसे लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा कर सकेगा।

(5) * * * * *

(Authorised English Translation)

Bill No. 15 of 2011

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)

BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 13 of 1994.-In the proviso of sub-section (4) of section 75 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), for the existing expression “test audit of such accounts”, the expression “audit of such accounts and such audit report shall be laid before the State Legislature by the State Government” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions of section 75 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, all accounts of Panchayati Raj Institutions shall be audited by the Director, Local Fund Audit and a test audit of such accounts may also be carried out by the Comptroller and Auditor General of India.

It has been felt that instead of test audit of accounts of Panchayati Raj Institutions, detailed audit of such accounts by the Comptroller and Auditor General of India may be carried out and such audit reports shall be laid before the State Legislature by the State Government. Therefore, the provisions of the Act are proposed to be amended accordingly.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

भरत सिंह,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE PANCHAYATI RAJ
ACT, 1994 (Act No. 13 of 1994)**

XX XX XX XX

75. Accounts and audit.- (1) to (3) XX XX XX

(4) All accounts kept and maintained by a Panchayati Raj Institution shall be audited, as soon as may be after the end of each financial year, by the Director, Local Fund Audit for the State and the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Rajasthan Act 28 of 1954) shall apply:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may also carry out a test audit of such accounts.

(5) XX XX XX XX
XX XX XX XX

2011 का विधेयक सं. 15

राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के
लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(भरत सिंह, प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
BILL, 2011**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(BHARAT SINGH, Minister-Incharge)